



अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतमाटा

शुभिमानी तहसीलदार रावतमाटा बनाम बाबुजी

किरम मुकदमा 84-86 नं० 04/2024 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
05 <sup>02</sup> / <sub>2024</sub>	पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के सम्मन मय नकल जारी होकर पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 25-02-2024 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी रावतमाटा (चित्तौड़गढ़)	
25 <sup>02</sup> / <sub>2024</sub>	पत्रावली पेश हुई पेशकार सरकार उपस्थित। अर्जाधी की तामील अग्रप्राप्त। अर्जाधी को पुनः नोटिस तामील भ्रकर पेश हो तो जारी हो। पत्रावली वास्तु बहन्तजार तामील दिनांक 25/03/2024 को पेश हो।  S.D.O.	
25 <sup>03</sup> / <sub>2024</sub>	पत्रावली पेश हुई पेशकार सरकार उपस्थित। अर्जाधी की बाद तामील प्राप्त होकर शाब्दिक की गई। अर्जाधी को वाकजुद सूचना उपस्थित गयी। अर्जाधी के विरुद्ध एगतरफा कार्यवाही के मोक्ष दिये जाते हैं तहसीलदार रावतमाटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं बाद-पत्रा के आधार पर प्रतिवादीगणों द्वारा कुल 230 हज़ार की अर्केष करार किया जाना जस्य जस्य 10000 प्रति हज़ार के आधार पर 230000- अर्केष तैकील उद्धार करपये की राशि प्राप्त के रूपमें	

निधारित की जाती है। तहसीलदार रावतमाय  
उपरीमानुसार राशि वसूल कर एवं जल्लपन्नी  
की नियमानुसार किलामी कर राशि राजकोष  
में जमा कराई जावे। इल्ले तु तहसीलदार  
रावतमाय की पुषक से लिखा जावे। पञ्चावली  
केवल शुमार हीनर नम्बर से कम हो।

